1– दून कालेज द्वारा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल ऐजुकेशन सोसाईटी 170 बसन्त बिहार देहरादून स्थाई कार्यालय सुन्दरपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर द्वारा चेयरमैन/प्रबन्धक इन्द्र सिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह सागवान नि0 सुन्दरपुर परगना मु0बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर ----------प्रार्थी।

बनाम सरकार उत्तर प्रदेश
ग्राम– गणेशपुर
परगना मु0बाद

Annexure 13

आदेश दिनांक 30/4/2010

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही दून कालेज द्वारा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल ऐजुकेशन सोसाईटी 170 बसन्त बिहार देहरादून स्थाई कार्यालय सुन्दरपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्र सिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह सागवान नि0 सुन्दरपुर परगना मु0बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 18–3–10 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी दून कालेज का चैयरमेन है। खसरा नम्बर 209 रकबा 0.1370हे0, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.1330हे0, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.4300हे0, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.4610हे0 में से 0.1370हे0, खसरा नम्बर 200म रकबा 0.3840हे0 भूमि स्थित ग्राम गणेशपुर परगना मु0बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर का भूमिधर है और इसी हैसियत से मौके पर काबिज है। उपरोक्त भूमि मौके पर काफी अरसे कृषि कार्य के रूप में प्रयोग नहीं हो रही है बल्कि शिक्षण संस्था के रूप में प्रयोग हो रही है। उपरोक्त भूमि लगातार आबादी /शिक्षण संस्था के रूप में प्रयोग होने के कारण भूमि का डिकलेरेशन धारा 143 के अन्तर्गत किया जाना अति आवश्यक व न्यायसंगत है। उपरोक्त भूमि आबादी के प्रयोग एवं शिक्षण संस्था के प्रयोग में होने के कारण उपरोक्त भूमि का डिकलेरेशन धारा 143 के अन्तर्गत न होने के कारण प्रार्थी के हकूक पर विपरित प्रभाव पडने का सख्त अन्देशा है। अन्त में उपरोक्त भूमि का डिक्लेरेशन धारा 143 के अन्तर्गत किये जाने व लगान माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बेहट से जांच कराई गई। जांच आख्या दिनांक 22–3–10 के अनुसार खाता सं0 247 के ख0नं0 209 रकबा 0.1370हे0, खाता सं0 239 के ख0नं0 200म रकबा 0.2770हे0 कुल 02 किते रकबा 0.4140हे0 लगान 06.70रूपये भूमि दून कालेज द्वारा डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी 170 बसन्त बिहार देहरादून हाल स्थायी कार्यालय सुन्दरपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्रसिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह निवासी सुन्दरपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। संस्था द्वारा उक्त भूमि पर शैक्षणिक गतिविधिया एवं खेलकूद के कार्यक्रम संचालित हैं। भूमि अकृषिक प्रयोजन में है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने एवं भूराजस्व से मुक्त किये जाने हेतु संस्तुति तहसीलदार द्वारा की गई है।

संस्था के चेयरमैन इन्द्र सिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह सागवान नि0 सुन्दरपुर परगना मु0बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर ने अपने सशपथ बयान में स्पष्ट किया है कि मैं दून कालेज संस्था का चेयरमैन हूँ। दून कालेज से संबंधित यह भूमि संस्था के शैक्षणिक गतिविधियों एवं खेलकूद के कार्यक्रम में प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि में कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य नहीं हो रहा है। सहखातेदार डा0 राजेन्द्र प्रसाद मैमोरियल सोसाइटी के चेयरमैन द्वारा अपने बयान में स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किए जाने में इस सोसाइटी को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः तहसीलदार बेहट की संस्तुति के आधार पर दून कालेज द्वारा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल ऐजुकेशनल सोसाइटी 170 बसन्त बिहार देहरादून स्थाई कार्यालय सुन्दरपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्र सिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह सागवान नि0 सुन्दरपुर के नाम खतौनी वर्ष 1415–1420 फसली के खाता सं0 239 के ख0नं0 200म रकबा 0.2770हे0 से संबंधित भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान रू0 3.80 समाप्त किया जाता है। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार बेहट एवं उपनिबन्धक, बेहट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक: अप्रैल 30 , 2010

S.D.O./S.D.M. (Behat)

30.4.10

(राजेन्द्र सिंह)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/
उप जिलाधिकारी, बेहट।

प्रतिलिपि:–
1– तहसीलदार बेहट
2– उप निबन्धक बेहट

30.4.10

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/
उप जिलाधिकारी, बेहट।

अंकन कर्ता.....
विधान कर्ता.....

Principal
Doon Paramedical College & Hospital
Vill.–Ganeshpur (Saharanpur)